

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
में जारी हुए

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

26-6-17

पत्रावली पेश हुई। कमीशनर उपस्थित। PO का-2008 के
पत्रावली वास्तु इन्तजार मालका दिनांक 31-5-17 को पेश होकर

14-6-17

पक्षकारान उप./अनु./वकील प्राथी/अप्राथी
उप./अनु./पत्रावली लोक अदालत में पेश
हुयी। पक्षकारान में समझाईश की गई।
परन्तु राजीनामा नहीं हुआ अतः पत्रावली
सम्बन्धित न्यायालय को वापिस लौटायी जाये।
20-7-17 को पेश हो।

20-7-17

पत्रावली पेश हुई। कमीशनर उपस्थित।
पत्रावली वास्तु इन्तजार मालका दिनांक 7-9-17 को पेश हो।

7-9-17

पत्रावली पेश हुई। कमीशनर की याचना में
तहसीलदार इन्तजार के फा. क्रमांक-19/अ/2017
1715 दिनांक 4-7-2017 से प्राथमिक कर्षण
रिपोर्ट प्राप्त हुई। कृषि प्राथमिक कर्षण रिपोर्ट
के बाड़ी गणपतनाथ आ. गणानाथ कौम नाथ
शक्ति शक्ति के हिस्से में रक. न. 2508 रुका
0.37 एकर रक. न. 2506 रुका 0.55 एकर
किता. 2 योग रुका 0.92 एकर प्राथी रहेगी।
तथा प्रहरी शमजानकी याचनी कमीशनर कौम
शक्ति शक्ति - कृषि तहसील मालके के
हिस्से में रक. न. 2508 रुका 0.91 एकर
रहेगी। वाड राजीनामा से तहसील बोर्ड
से शक्ति शक्ति किता जाग दी आनेम
की जायी गयी।

पत्रावली कमल कुमार डोक
काड तहसील कमीशनर दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
-लाखेरी (बुन्दी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लाखेरी जिला बुन्दी

वादसंख्या: 55/2016

पीठासीन अधिकारी

दायरादिनांक: 19-7-16

(सुधी गरिमा लारा P.A.S)

बउनवान

1. गणपतनाथ आत्मज भागनाथ जारि नाथ निवासी कडाखेडा
तहसील इन्द्रगढ़ जिला बुन्दी राज.

---वादी---

खनाम

1. रामजानकी पाली बद्रीलाल जारि मीणा निवासी चैनपुरिया
तहसील भागशेला जिला बारा राज.

2. राज. साकार जय तहसील दार इन्द्रगढ़

---प्रतिवादी---


वाद बटवारा कृषि भूमि अन्तर्गत धारा

53 आर.टी.एक्ट

निर्णय


दिनांक 11-2-2017

वादी ने अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.एक्ट में वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि स्वसरा संख्या 2506 रकबा 0.55 ईश्वर स्वसरा संख्या 2508 रकबा 1.28 ईश्वर कुल स्वसरा किरा-2 योग रकबा 1.83 ईश्वर वाके ग्राम कडा खेडा तहसील इन्द्रगढ़ में विस्थित है वाद वागीर कृषि भूमि में वादी का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी स.1 का 1/2 हिस्सा नीचे है, वाद वागीर कृषि भूमि का बाहरी बटवारा हो रहा है बटवारे के अनुसार वादी को स्वसरा स. 2506 रकबा 0.55 ईश्वर और इसी स्वसरा स. 2506 के लगवा पश्चिम की ओर स्वसरा स. 2508 में से 0.37 ईश्वर कुल 0.92 ईश्वर कृषि भूमि दन वादी काशत करता चला आ रहा है।


उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बुन्दी)

किन्तु शासनाधीन स्वामि होने से लगान रिकार्ड देने में परेशानी
 आयी है एवं सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में वही को
 भारी परिश्रमों का सामना करना पड़ता है वही ने
 पारिवारिक से स्वामि विभाजन के लिए निवेदन किया था
 परन्तु पारिवारिक ने कोई ध्यान नहीं दिया गया वही को
 अधिकार प्राप्त है कि वह अपने हिस्से की कृषि भूमि का
 विभाजन करवाये एवं राजस्व रिकार्ड में पृथक से स्वामि
 दर्ज करवाये। और अन्त में निवेदन किया कि वही के
 पक्ष में विरुद्ध पारिवारिक इस आशय की डिम्बी पारित की
 जावे की बाद वर्णित आशय में वही का हिस्सा 42
 का बाहरी बटवारा अनुसार बटवारा किया जाकर वही
 के हिस्से में प्राप्त भूमि का राजस्व रिकार्ड में पृथक से
 स्वामि अंकित किया जावे इस आशय की बटवारा डिम्बी
 पारित की जावे।


वही का बाद पत्र दर्ज रजिस्ट्रार किया जाकर
 पारिवारिक को तलब किया गया। दिनांक 1-2-2017
 को पारिवारिक स. 2 के अनुपस्थित रहने से उसके विरुद्ध
 एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई बाद की
 प्रकृति को देखते हुए प्रकरण को दिनांक 11-2-2017
 को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में रेफर किया
 जाकर पक्षकारों को जर्ने नोटिस तलब किया गया
 बाद तामील नोटिस पारिवारिक स. 1 शत्रुजानमी स्वम
 जर्ने आचिवस्ता न्यायालय में उपस्थित आयी एवं
 इन्वॉलिया जम्ब दावा प्रस्तुत किया। एवं लोक
 अदालत की भावना को मध्यनजर रखते हुए बाद वर्णित
 कृषि भूमि का हिस्से अनुसार बटवारा किया जाने


 उपखण्ड अधिकारी
 लाखेरी (बून्दी)

किये जाने पर सहमति दी। अतः वादी का वाद-पत्र
आपसी सहमति पर स्वीकार किया जाना उचित नहीं
होगा है।

अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार कर प्राथमिक
डिक्री किया जाता है। तहसीलदार इन्डगढ़ को मीना
बख्श कारमेश्वर नियुक्त किया जाकर निर्देश दिये
जाते हैं कि वाद वागैर कृषि ख.न. 2506 रुबा
0.55 एकर ख.न. 2508 रुबा 1.28 एकर कुल
किता-2 योग रुबा 1.83 एकर वाले ग्राम बडाको
तहसील इन्डगढ़ में स्थित कृषि भूमि में निर्दिष्ट वादी
व प्रतिवादी स.। का निर्दिष्ट हिस्से का बख्श उभयपक्षों
को तलब कर राजस्व मॉडल (बख्श नियम) 18 से 21 व
घाश 53 आर.टी.एक्ट के प्रावधानों को मध्यनजर रखते
हुए बख्श पुस्तक मय नक्शा देश के तैयार कर दिनांक
26-4-2017 से पूर्व न्यायालय द्वारा में प्रस्तुत करने की
व्यवस्था सुनिश्चित करे। बख्श कारमेश्वर फीस 2000 रुपये
निश्चित की जाती है जो वस्तु बख्श वादी द्वारा अदा की
जावेगी। तदनुसार प्राथमिक पत्रा डिक्री जारी हो।

निर्णय लिखवाया जाकर आज दिनांक 11-2-2017
को राष्ट्रीय लोक अदालत में सरे इजलास सुनाया गया।


उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बुन्दी)

आवेदन डिगरी ब मुकदमें इबतदाई
(O 20, Rr 6,7)

(civil Procedure Code, Appendix D)

अज अदालत... उपर्युक्त आवेदनकर्ता... मुकाम... लाखेरी
व इजलास... मुझी शारिमा लाय R.A.S.

1. गणपतनाथ आत्मज भागानाथ जाते नाथ निवासी कसाबेडा तहसील इन्डगा
बनाम 1. रामजानसी घासे वडीलाल जाते मीणा निवासी चेनपुरिया तहसील म्हाशेल बय
2. राज्य सरकार जे तहसील इन्डगा
वादी (परिवारी)

दावा बाबत... 53 आर.सी.ए.

मुकदमा नम्बर 55/57/16 सन

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरु... व हाजिरी
श्री महेन्द्र रेवारी एवम् मिनजानिब मुद्दई रुबरु श्री अन्वय म्हा. ए. डी.
मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुकुम दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि

वादी का दावा उरान्तेम डि की किया जाता है. मुकदमे प्राथमिक कवाय
रिपोर्ट के ख.नं. 2508/1, 2504 0.37 एअर ख.नं. 2506 रुका 0.55 एअर
किंग-2 योग रुका 0.92 एअर वाके ग्राम का क्षेत्र वादी के हिस्से में रहेगी।
प्र ख.नं. 2508 रुका 0.91 एअर परिवारी से। के हिस्से में
रहेगी।

निज... मुबलिंग... बाबत... खर्चा इन
मुकदमें के मय सूद बशरह... फीसदी सालाना आज की तारीख
से तारीख अदायगी तक... का अदा करें।
सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 7-9-2017 माह
सन... को जारी की गई।

दस्तखत
ओहदा

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (रुम्बी)

मुद्दई	रुपया	पैसे	मुद्दायलह	रुपया	पैसे
1. स्टाम्प अर्जीदावा			1. स्टाम्प अर्जीदावा		
2. स्टाम्प वकालतनामा			2. स्टाम्प अर्जी		
3. स्टाम्प वजह सबूत			3. महन्ताना वकील		
4. महन्ताना वकील			4. खर्चा गवाहॉन		
5. खर्चा गवाहॉन			5. फीस कमिश्नर		
6. फीस कमिश्नर			6. बाबत इजराय हुक्मनामा		
7. बाबत इजराय हुक्मनामा			7. मुत्तफरिक		
मीजान			मीजान		

नोट :- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरिकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।